

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री थानाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत,  
निवासी- माकरोडा, तहसील- सिरौही, जिला- सिरौही  
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता)

फर्म:- धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरौही, जिला- सिरौही

प्रकरण संख्या: 09/2020

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006”

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री सुरेश कुमार प्रजापत, प्रतिवादी स्वयं

-: निर्णय :-

दिनांक 26 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 18.7.2019 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरौही, जिला- सिरौही पर पहुंचा। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री थानाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- माकरोडा, तहसील व जिला- सिरौही हैं एवं फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरौही, जिला- सिरौही पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद हैं जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (आरिया ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (आरिया ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में अलमारी की रैक में विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी (आरिया ब्राण्ड) के 20x500ml लीटर पैकड जारों में से 4x500ml पैकड जार जांच के लिये खरीद एवं उसकी कीमत रुपये 680/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेवल तैयार कर लेवल पर काट एवं क्रमांक, दिनांक

.....पत्र दो पर

स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा घी (ओरिया ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकड जारों पर एक-एक लवल गोद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-984 को नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मांका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियाँ तैयार की व उस पर नमूने को माल्टड करने समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियाँ दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोद से चिपकाई। नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 19.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 18.7.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का नमूना S-984 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति विक्रता सुरेश कुमार प्रजापत एवं निर्माता फर्म को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो अपील आवेदन प्रारूप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को प्रस्तुत करे, लेकिन सुरेश कुमार प्रजापत एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियाँ अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन प्राप्त की गई। प्रतिवादी अभियुक्त ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य

.....पन्ना तीन पर

पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रतिवादी अभियुक्त ने इस न्यायालय में दिनांक 25.2.2020 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह अंकित किया है कि दिनांक 18.7.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनाय शर्मा ने जिस गाय का घी (ओरिया ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Misbrand पाया गया है, उसका विल कही गुम हो गया है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। यह मेरी प्रथम गलती है, जिसमें मैं स्वीकार करता हूँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, कृपया मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी सुरेश कुमार प्रजापत द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 25.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने मिथ्याछा खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) को विल में खरीदा था, परन्तु विल गुम हो गया है। मने पैकिंग अवस्था में ही घी का विक्रय किया था। यह मेरी प्रथम गलती है, मैं भविष्य में विल में माल खरीद कर विक्रय करूँगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण को समाप्त करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई वहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनाय कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.7.2019 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थ के निरीक्षण हेतु फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिराही, जिला- सिराही पर गये। उक्त फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिराही, जिला- सिराही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री थानाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- माकरोडा, तहसील व जिला- सिराही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्वच करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता सुरेश कुमार प्रजापत को प्रपत्र संख्या 5ए में

.....पेज चार पर

लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। उक्त फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर में आलमारी की रैक में आमजन के उपयोग हेतु विक्री के लिये रखे हुये खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के 20 पैकड जारों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के 4 पैकड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) जांच के लिये खरीदे एवं उम्की कीमत राशि रुपये 680/- (अक्षरों राशि रुपये छः सौ अठ्ठसो मात्र) विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत को नकद अदा कर रसीद विल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद विल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही के कोड एवं क्रमांक S-984 दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर आवेदक सुरेश कुमार प्रजापत एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा घी (ओरिया ब्राण्ड) के चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोंही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-984 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता सुरेश कुमार प्रजापत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का विल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरोंही, जिला- सिरोंही में खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत से खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) को नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतिया तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग स दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपड़ी से सिलड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 19.7.2019 का नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्तु जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की

रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.7.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग में फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-984 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./558/Act/2019/612 दिनांक 25.7.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरोंही, जिला- सिरोंही में खाद्य कारोबारकर्ता सुरेश कुमार प्रजापत से वास्तु नमूना जांच कर किया गया खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) के नमूने के पैकिंग लेवल पर FSSAI License No. अंकित किये हुये नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि प्रतिवादी सुरेश कुमार प्रजापत ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) की खरीद का बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही उम न्यायालय में बिल प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुरेश कुमार प्रजापत ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (ओरिया ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 28 की उपधारा 1, के तहत राज्य सरकार को अधिसूचना क्रमांक प 112)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 09.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री थानाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- माकरोडा, तहसील व जिला- सिरोंही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म धनलक्ष्मी जनरल स्टोर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरोंही, जिला- सिरोंही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री थानाराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- माकरोडा, तहसील व जिला- सिरोंही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोंही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोंही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोंही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोंही

